90 लाख सूक्ष्म उद्यमियों की सुरक्षा गारंटी वाला पहला राज्य बना यूपी

मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना योजना में पांच लाख का बीमा

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। जीएसटी पंजीकरण से बाहर सूक्ष्म उद्यमियों को पांच लाख रुपये का सुरक्षा कवच देने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। विश्व उद्यमिता दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना योजना का शुभारंभ किया। इससे प्रदेश के करीब 90 लाख छोटे उद्यमियों को फायदा होगा।

लोकभवन में सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि प्रदेश के 96 लाख एमएसएमई उद्यमियों में 97 फीसदी सूक्ष्म हैं। इनके उद्यम में पांच करोड़ से कम पूंजी है और सालाना टर्नओवर 40 लाख से कम है। इनकी सुरक्षा की गारंटी आज से सरकार लेगी। इन्हें अब पांच लाख रुपये बीमा का लाभ मिलेगा। कहा, लाभ के लिए उद्यमी पंजीकरण जरूर कराएं। अभी तक 27 लाख ने पंजीकरण कराया है। साथ ही बताया कि 40 लाख से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों को सरकार पहले से ही दस लाख बीमा का लाभ दे रही है। >> संबंधित पेज 3 पर

विश्व उद्यमिता दिवस पर लोकभवन में सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में उद्यमी को प्लेज पार्क का प्रमाण पत्र देते सीएम योगी। अमर उजाला

लोग अब यूपी आने को बेताब

सीएम ने कहा पिछले हफ्ते आरबीआई व नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक आज यूपी सबसे ज्यादा निवेश लाने वाला, सबसे ज्यादा पर्यटक वाला, सबसे ज्यादा बैंकों को आकृष्ट करने वाला प्रदेश हो चुका है। सीएम ने कहा कि उन्हें खुद यकीन नहीं होता कि यह वही प्रदेश है जहां से छह साल पहले उद्यमी कारोबार समेटकर बाहर जाना चाहते थे और आज बाहर के उद्यमी यहां आने के लिए बेताब हैं।

प्लेज पार्क स्थापित करने वालों को मिला लाभ

एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने संभल, हापुड़ व झांसी में प्लेज पार्क स्थापित करने वाले उद्यमियों को 11.37 करोड़ रुपये का चेक देकर लाभांवित किया। इन पार्कों को लेकर सीएम ने कहा कि सरकारी मदद से निजी जमीन पर औद्योगिक पार्क स्थापित करने की पहल देश में पहली बार की गई है। इसमें सरकार पार्क स्थापित करने वालों को अनेक लाभ दे रही है। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा सम्मान योजना व ओडीओपी योजना का प्रारंभ यूपी ने किया था, जिसे पूरे देश ने लागू किया।

प्लेज पार्क के फायदे

- लोन से लेकर सरकारी टेंडर तक में प्राथमिकता
- मात्र एक प्रतिशत ब्याज पर आर्थिक सहायता
- 50 लाख प्रति एकड़ भूमि विकसित करने के लिए
- जमीन की रजिस्ट्री पर शत प्रतिशत स्टांप छूट